

सं0 31026/64/2024-एमडी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्टूबर, 2026

शुद्धिपत्र / परिशिष्ट

विषय: "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढीकरण" योजना के अन्तर्गत उप-योजना "चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास" के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में।

औषध विभाग ने दिनांक 8.11.2024 को "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढीकरण" योजना के अन्तर्गत उप-योजना "चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास" के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2. दिनांक 21.09.2026 को आयोजित योजना संचालन समिति (एसएससी) की पांचवी बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, उप-योजना "चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास" के दिनांक 8.11.2024 के दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं-

खण्ड संख्या	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
4.3.1 पृष्ठ 23	"औषध विभाग प्रतिपूर्ति के आधार पर पाठ्यक्रम की लागत का 75% तक या 21 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, प्रदान करेगा। शेष 25% की लागत संबंधित संस्थान को वहन करनी होगी।"	"औषध विभाग पाठ्यक्रम की स्वीकृत लागत का 75% या 21 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक की राशि प्रदान करेगा। अनुदान सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। स्वीकृत लागत का शेष 25% संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।"
4.5 पृष्ठ 24	"वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र-प्रतिपूर्ति के आधार पर अनुदान सहायता जारी करना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने सहित इसके नियम और शर्तें सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अधीन होंगी।" प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त निधियों और किए गए व्यय का एक सरल विवरण अगले वर्ष के लिए पहली किस्त जारी किए जाने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है जिस पर संस्थान/पीएमए के लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत	वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र और विस्तृत व्यय विवरण: अनुदान सहायता का दो किस्तों में वितरण और उससे संबंधित नियम एवं शर्तें, जिनमें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी शामिल है, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों के अधीन होंगे। मासिक स्थिति एवं व्यय रिपोर्ट: अनुदान सहायता प्राप्त करने वाला लाभार्थी संस्थान परियोजना कार्यान्वयन पर एक मासिक स्थिति रिपोर्ट, साथ ही कुल व्यय (जो औषध विभाग द्वारा दिए गए अनुदान और संस्थान के अपने हिस्से से किया गया हो) का विधिवत प्रमाणित विवरण, जो संस्थान के सक्षम

	हस्ताक्षर किए गए हों।" दूसरे वर्ष से आगे के वार्षिक अनुदान की अगली किस्त जारी करने के लिए एक लेखापरीक्षित विवरण आवश्यक होगा।"	प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, को औषध विभाग/पीएमए को प्रस्तुत करेगा यदि लाभार्थी संस्थान अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की गई स्वीकृत परियोजना लागत के 75% के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, साथ ही संस्थान द्वारा वहन की गई स्वीकृत परियोजना लागत के शेष 25% के उपयोग का प्रमाण निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो संस्थान को औषध विभाग को प्राप्त की गई अनुदान सहायता वापस करनी होगी।
4.8.1 (घटक क विवरण) पृष्ठ 25	"...औषध विभाग प्रतिपूर्ति के आधार पर पाठ्यक्रम की लागत का 75% तक या 21 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, प्रदान करेगा। जिसमें से, अवसंरचना/लैब उपकरण और मशीनरी के लिए गैर-आवर्ती व्यय के रूप में 15 करोड़ रुपये और वेतन, मजदूरी और उपभोग्य आदि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में 6 करोड़ रुपये संस्थान को प्रदान किए जाएंगे।"	औषध विभाग पाठ्यक्रम की स्वीकृत लागत का 75% या 21 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, अनुदान सहायता के रूप में दो किस्तों में प्रदान करेगा, जिसमें से 70% (15 करोड़ रुपये तक) अवसंरचना, प्रयोगशाला उपकरण और मशीनरी के गैर-आवर्ती खर्चों के लिए और 30% (6 करोड़ रुपये तक) वेतन, मजदूरी और उपभोग्य सामग्रियों आदि के आवर्ती खर्चों के लिए संस्थान को प्रदान किया जाएगा।
4.8.2.1 पृष्ठ 25-26	"पाठ्यक्रम की लागत के 75% तक या 21 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उन मौजूदा केंद्रीय सरकारी संस्थानों को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रदान की जाएगी जिनके पास पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक अवसंरचना (भवन, स्थान, प्रयोगशाला आदि) और संकाय है।"	"पाठ्यक्रम की स्वीकृत लागत के 75% तक या 21 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से दो किस्तों में उन मौजूदा केंद्रीय सरकारी संस्थानों को प्रदान की जाएगी जिनके पास पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक अवसंरचना (भवन, स्थान, प्रयोगशाला आदि) और संकाय है।"
4.8.2.5 पृष्ठ 26	"अनुदान को (प्रतिपूर्ति के रूप में) संस्थान के प्रमुख/निदेशक को जारी किया जाएगा; संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र औषध विभाग (डीओपी) और पीएमए को प्रस्तुत किया जाएगा।"	"लाभार्थी संस्थान को किसी भी अनुदान सहायता जारी करने से पहले, इन योजना दिशानिर्देशों के पैरा 4.5 के प्रावधानों के अनुसार, औषध विभाग (डीओपी) के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा। इसके बाद, अनुदान सहायता अनुमोदित लाभार्थी को दो किस्तों में जारी की जाएगी, बशर्ते संस्थान द्वारा अपने 25% अंशदान में से अपने समतुल्य हिस्से को एक अलग खाते में सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया हो या ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो जो इस

		बात की पुष्टि करता हो कि संस्थान ने अपने 25% अंशदान में से समतुल्य या अधिक व्यय पहले ही कर लिया है।"
4.8.2.7 पृष्ठ 26	"चिकित्सा उपकरणों में बहु-विषयक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ संस्थान द्वारा योजना की समाप्ति से पहले अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से संकाय को बनाए रखने संबंधी लिखित प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को 2+1 वर्ष तक की संकाय सहायता (योजना वित्तीय परिव्यय) अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी।"	"चिकित्सा उपकरणों में बहु-विषयक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ और संस्थान द्वारा योजना की समाप्ति से पहले अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से संकाय को बनाए रखने संबंधी लिखित प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को 2+1 वर्ष तक की संकाय सहायता (योजना वित्तीय परिव्यय) अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी।"
4.14 (चौथा बिन्दु) पृष्ठ 29	"योजना के तहत आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले चयनित प्रतिभागियों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तपोषण जारी किया जाएगा।"	"योजना के तहत चयनित प्रतिभागियों, जो आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं, को अनुदान सहायता के रूप में अग्रिम रूप से दो किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी।"

3. उप-योजना "चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास" के दिनांक 08.11.2024 के दिशानिर्देशों के अन्य सभी खंड अपरिवर्तित रहेंगे।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एन.के. साहा
13/10/26
(एन.के. साहा)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या 24016310

सेवा में,

- निदेशक, एनआईसी, औषध विभाग – औषध विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- सीईओ, एलएसएसएसडीसी-योजना की पीएमए को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।